

# भारतीय दंत परिषद

(दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकास) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन

### DENTAL COUNCIL OF INDIA

(A STATUTORY BODY CONSTITUTED UNDER THE DENTISTS ACT, 1948)
UNDER MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA



<u>वेबसाइट</u>

सं.डीई-130-(एआरपीएम-जनरल)-2022/ 583

दिनांक 🏻 🖵 नवंबर, 2022

### सार्वजनिक सुचना

नई दिल्ली

## अन्धिकृत प्राधिकारियों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत डेंटल कोर्स चलाने के संबंध में

आम जनता को सूचित किया जाता है कि दंत चिकित्सा के पेशे को विनियमित करने और देश में दंत चिकित्सा शिक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (डीसीआई) का गठन किया गया है। देश में दंत चिकित्सा शिक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाना भारतीय दंत चिकित्सा परिषद का वैधानिक और बाध्य कर्तव्य है।

- 2. इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति/प्राधिकरण/संस्था द्वारा दी गई कोई भी दंत योग्यता तब तक मान्य नहीं है जब तक कि यह डीसीआई के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों के मानदंडों के अनुसार नहीं है, दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 10, 10ए और 10बी के संबंधित प्रावधान इस संबंध में संदर्भित किये जा सकते हैं।
- 3. तथापि, विभिन्न राज्यों में दंत चिकित्सा में अनाधिकृत संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे अनिधकृत पाठ्यक्रमों की जानकारी समय-समय पर भारतीय दन्त परिषद के संज्ञान में आती है जो गंभीर चिंता का कारण है क्योंकि यह सीधे तौर पर व्यक्ति और समाज के स्वास्थ्य की स्थिति से संबंधित है और यह रोगियों के मौखिक और दंत स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं क्योंकि ये पाठ्यक्रम तकनीकी रूप से गलत और अप्रभावी हो सकते हैं । इस प्रकार के पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण कम प्रशिक्षित और अक्षम कार्मिक तैयार कर सकते हैं जिसके कारण रोगियों के इलाज के मानकों और गुणवत्ता से समझौता करना होगा और जिससे पुन: उपचार की भी आवश्यकता हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य और वित्तीय संसाधनों पर बोझ पड़ता है। इस प्रकार, नैतिक और कानूनी आधार पर इस प्रकार के पाठ्यक्रम गलत हैं।
- 4. दंत चिकित्सकों को अवैध कोर्स/प्रशिक्षण चलाना दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 51 और धारा 52 के प्रासंगिक प्रावधानों को आकर्षित करते हैं , जो ऐसे अधिकारियों/संस्थानों को अवैध पाठ्यक्रम/दंत चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने के लिए सजा का प्रावधान करते हैं।
- 5. डीसीआई की कार्यकारी समिति ने 07.11.2022 को आयोजित अपनी बैठक में इस तथ्य पर ध्यान दिया कि कुछ व्यक्ति प्राधिकारी, संस्थान बिना किसी पूर्व और वैध अनुमित के दंत चिकित्सा योग्यता प्रदान कर रहे हैं जैसा कि दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 और विनियमों के तहत विचार किया गया है और ऐसा व्यक्ति न तो पंजीकरण के लिए हकदार है और न ही किसी नौकरी के लिए हकदार है और दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 47 से 49 और संशोधित दंत चिकित्सक (नैतिकता संहिता) विनियम, 2014 या राज्य के संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी विधायी क्षमता के तहत संबंधित राज्य द्वारा बनाए गए किसी भी अन्य कानून के तहत, कार्यवाही के हकदार होंगे ताकि इस तरह के कदाचार की रोकथाम सुनिश्चित की जा सके और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि कोई दंत चिकित्सा योग्यता दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए नियम के उल्लंघन में प्रदान न की जाये।

(विकास चावड़ा) प्रभारी सचिव भारतीय दन्त परिषद



## भारतीय दंत परिषद

(दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित एक साविधिक निकाय) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन

### DENTAL COUNCIL OF INDIA

(A STATUTORY BODY CONSTITUTED UNDER THE DENTISTS ACT, 1948) UNDER MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA



Website

No.DE-130-(ARPM-General)-2022/

Dated the November, 2022

#### **PUBLIC NOTICE**

New Delhi

Running unauthorized dental courses by unauthorized authorities/institutions - regarding

It is hereby informed to the General Public that the Dental Council of India (DCI) has been constituted by an Act of Parliament to regulate the profession of dentistry and also to maintain the highest standards of the Dental Education in the Country. It is statutory and bounden duty of the Dental Council of India to take such steps which are required to be taken for maintaining the highest standards of Dental Education in the Country.

- 2. Moreover, any dental qualification granted by any person/authority/Institution is not valid unless and until it is according to the norms to DCI's Act and Regulations made there under, the respective provisions of Section 10, 10A and 10B of the Dentists Act, 1948 may be referred to, in this regard.
- 3. However, the information of unauthorized courses in dentistry conducted in different states by unauthorized Institutions come to the notice of Dental Council of India from time to time which is a cause of serious concern as it directly pertains to the health status of the individual and the society at large. It may prove to be a huge hazard to the patients oral and dental health as these courses might be technically wrong and ineffective. This type of courses/training might produce ill-trained and incompetent personnel due to which the treatment to the patients might be compromised in standards and quality and also may require corrective retreatment resulting in burden on health and financial resources. Thus, these types of courses are wrong on moral, ethical and legal grounds.
- 4. To run illegal course/training to dentists may attract the relevant provisions of Section 51 and Section 52 of Dentists Act, 1948, which provides for punishment to such authorities/institutions conducting illegal courses/training to dentists.
- 5. The Executive Committee of the DCI in its meeting held on 07.11.2022, taken the note of the fact that certain person authority, Institution are imparting the dental qualification without any prior and valid permission as contemplated under the Dentists Act, 1948 and regulations made there under and such person neither entitled for registration nor entitled for any job and are liable to be initiated or taken action under section 47 to 49 of Dentists Act, 1948 and Revised Dentists (Code of Ethics) Regulations, 2014 or any other law framed by the respective State under their legislative competence by the respective competent authority of the State so as to ensure the prevention of such malpractices and also to ensure that any dental qualification is awarded in violation of the Dentists Act, 1948 and regulations made there under shall not be a recognized qualification for the purposes of the Dentists Act, 1948".

(Wikas & hawda)
Secretary-Incharge
Dental Council of India